रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2013/ज्येष्ठ 8, 1935
No. 259] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2013/JYAISTHA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 343(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 की उप-धारा 6 के खंड (i) और उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 (इसके आगे 'मूल विनियमावली' के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियमों में संशोधनः-

विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात,

"(3) भारत से किए गए निर्यात के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निर्देशों के अनुसार निर्यात-आगम राशि की प्राप्ति का कोई अन्य तरीका।"

[सं.फेमा.274/2013-आरबी]

रश्मि फौजदार, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी

मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 5 मई, 2000 के जी.एस.आर. सं. 397(ई) के जरिये प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थीः

(ए) 29 सितंबर 2003 के जी.एस.आर.सं.772(ई),

(बी) 2 फरवरी 2005 के जी.एस.आर.सं. 53(ई),

(सी) के.जी.एस.आर.सं. और

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th April, 2013

Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Second Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 343(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (i) of sub section 6 and sub section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt & Payment) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations') namely :-

1. Short title and commencement:-

i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Second Amendment) Regulations, 2013

ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of the Regulations:

In Regulation 3, after sub regulation (2), the following shall be inserted namely,

"(3) Any other mode of receipt of export proceeds for an export from India in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India to authorised dealers from time to time."

[FEMA No. 274/2013-RB]

Smt. RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot note :

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 397 (E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended vide:-

(a) G.S.R. No. 772 (E) dated September 29, 2003;

(b) G.S.R. No. 53 (E) dated February 2, 2005; and

(c) G.S.R. No.______ dated _ _____

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.